पत्रांक : वित्त–7 / वि०नि०–1008 / 2006(खण्ड) / ..0 7 2 1 / वि.

झारखंड सरकार

योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)

प्रेषक,

अमित खरे,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 15.09.16

विषय : वित्त विभाग के अनुमति के बिना खोले गये बैंक खातों को बन्द करने के संबंध में।

महोदया / महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 118 दिनांक 12.01.2007, पत्रांक 3887 दिनांक 01.12.2009 तथा पत्रांक 1475 दिनांक 14.05.2010 के द्वारा सरकारी प्रयोजन से बैंक खातों के संचालन के संबंध में सरकार का निर्णय संसूचित किया गया था कि वित्त विभाग के अनुमति के बिना खोले गये बैंक खातों को अविलम्ब बन्द कर दिया जाय।

वित्त विभाग के संज्ञान में महालेखाकार द्वारा ऐसे कई मामले लाए गए हैं जिनमें एक ही कार्यालय में कई बैंक खातों का संचालन किया जा रहा है। यह स्पष्टतः वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है एवं इसमें सरकारी कोष की क्षति की भी सम्भावना होती हैं।

अस्तु इस संबंध में सरकार के निर्णय यथा संकल्प संख्या 118 दिनांक 12.01.2007 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नरूपेण कार्रवाई करने की कृपा की जाय :–

(1.) किसी भी परिस्थिति में किसी सरकारी कार्यालय में बैंक खाता खोलने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति अवश्य प्राप्त की जाय।

(2.) सरकारी पदाधिकारी / कर्मचारी अपने निजी खातों में कोई सरकारी राशि जमा नहीं करेंगे। यदि ऐसा कोई मामला है या प्रकाश में आता है तो संबंधित के विरूद्ध अपराधिक मुकदमा (FIR) दर्ज कराया जाय।

(3.) वैसी योजनाएँ जिनमें लाभुक को PFMS Portal के माध्यम से DBT करन करने हेतु बैंक खाता की आवश्यकता होगी, उनमें PFMS Portal पर रजिस्टर्ड बैंक खातों में DBT हेतु राशि अन्तरित की जाय तथा उक्त खातों से यथाशीध्र लाभुकों के बैंक खाता में राशि अन्तरित कर दी जाय।

(4.) वैसी योजनाएँ जो DBT के तहत नहीं आती है परंतु जिसमें PFMS Portal के माध्यम से व्यय करने हेतु बैंक खाता को अनिवार्यता होगी, के लिए भी विभागीय स्तर पर समेकित प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(5.) प्रशासी विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालय एवं सभी स्थापनाओं की समीक्षा कर वित्त विभाग के अनुमति के बिना खोले गये बैंक खातों को बन्द कराना सुनिश्चित करेंगे।

कृत कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत कराने की कृपा की जाय। सभी उपायुक्त पन्द्रह दिनों के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

15.9.2016

(अमित खरे)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : वित्त–7 / वि०नि०–1008 / 2006(खण्ड) 2721 राँची / दिनांक 15.09.16

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.9.2016

(अमित खरे)
अपर मुख्य सचिव